फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/169 बअनवान रूपसिंह वगैरा बनाम उर्मिला वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 18 वकालतन/असालतन अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम बारवा के खसरा नंबर 896, 900, 901, 902, 903 कुल रकबा 2.29 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 से 18 के खातेदारी की है, जो बेरा ओटावाला के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार ग्राम बारवा के खसरा नंबर 742, 757, 758, 759, 760/1 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की भूमि वादीगण के खातेदारी की है, जो बेरा नोकरा के नाम से जानी जाती है। वादीगण ने अपने वादपत्र में इन दोनों भूमियों को वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य हुये बंटवाडा अनुसार बेरा ओटावाला की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में होने तथा बेरा नोकरा की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में होने से विनिमय के माध्यम से भूमि अदला बदली कर वादीगण व प्रतिवादीगण को अपने हिस्से बंट में आई भूमि अनुसार अर्थात बेरा ओटावाला की जमीन वादीगण के खातेदारी एवं बेरा नोकरा की भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का उक्त वाद पेश किया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है। परंतु वादीगण ने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में 50 वर्ष पूर्व पूर्वजों के मध्य हुये विभाजन का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाये है। इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अनुसार– **भूमि का विनिमय (1) एक ही वर्ग के अभिधारी उस भूमि का, जिसे वे एक ही भू–धारक से धारण करते है, ऐसे भू–धारक की लिखित सहमति से या यदि वे भूमि को विभिन्न भू–धारकों से धारण करते है तो ऐसे सभी भू–धारकों की लिखित सहमति से, विनिमय कर सकेंगें।** इसी प्रकार धारा 52 में दी व्याख्या के अनुसार– 52(4) विनिमय की **अनुमति देने वाला प्राधिकारी**–राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में दिनांक 15.12.76 को नियम 24–कक जोडा गया है, जिसमें जिले का कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे विनिमय की अनुमति दे सकता है, पर **अब नियम 24–कक को दिनांक 20.01.82 से प्रतिस्थापित कर तहसीलदार को तहसील के भीतर** विनिमय की अनुमति देने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है और ऐसे अभिधारियों की आपसी सहमति लिखित में होगी। इस प्रकार विधिक प्रावधानों के अनुसार विनिमय के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त होते हुये वादीगण द्वारा उक्त वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि के विनिमय की मांग करना न्याय संगत नहीं है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम बारवा के खसरा नंबर 896, 900, 901, 902, 903 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 से 18 के खातेदारी की है। एवं ग्राम बारवा के खसरा नंबर 742, 757, 758, 759, 760/1 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की भूमि जो कि वादीगण के खातेदारी की है, की अदला–बदली के जरिये विनिमय हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. रूपसिंह पुत्र भीकसिंह
2. लालसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जातिगण पुरोहित निवासीगण बारवा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उर्मिला पुत्री हिम्मतसिंह
2. चन्द्रकला पुत्री हिम्मतसिंह
3. भावना पुत्री हिम्मतसिंह
4. मंजु पुत्री हिम्मतसिंह
5. मनीषा पुत्री हिम्मतसिंह
6. रसीला पुत्री हिम्मतसिंह
7. सुमिजा पुत्री हिम्मतसिंह
8. हितेश पुत्र हिम्मतसिंह
9. गंगासिंह पुत्र अचलसिंह उर्फ अचलाजी
10. भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह उर्फ अचलाजी
11. शिवलाल पुत्र अचलसिंह उर्फ अचलाजी
12. नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह
13. मूलसिंह पुत्र हीरसिंह
14. रमेश पुत्र चुन्नीलाल
15. लताकुमारी पुत्री चुन्नीलाल
16. शंकरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
17. प्रकाश पुत्र बिहारीलाल
18. सुलोचना पुत्री बिहारीलाल जातिगण पुरोहित निवासीगण बारवा तहसील बाली
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/169

वाद अंतर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीगण द्वारा ग्राम बारवा के खसरा नंबर 896, 900, 901, 902, 903 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 से 18 के खातेदारी की है। एवं ग्राम बारवा के खसरा नंबर 742, 757, 758, 759, 760/1 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की भूमि जो कि वादीगण के खातेदारी की है, की अदला–बदली के जरिये विनिमय हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-07-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner